Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

प्रेषित,

श्रीमती पर्ल चौधरी
उम्मीदवार इंडियन नेशनल कांग्रेस,
75–पटौदी(अजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।

क्रमांकः निर्वाचन / 2024 / 1059 दिनांकः 23/10/2024

विषयः– **Request for investigation into Anomalies in the Counting Process of the Recent Haryana Vidhan Sabha Election for 75-Pataudi Assembly Constituency(SC).**

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक निर्वाचन / 2024 / 1054 दिनांक 18–10–2024 की निरंतरता में आपकी जानकारी के लिए ईवीएम संबंधित सारी प्रक्रिया को संक्षिप्त रूप में इस पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

आयोग ने अपने विशिष्ट अनुशंसाओं में कहा है कि सुरक्षा उपायों के साथ प्रौद्योगिक सुरक्षा विशेषताएँ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पूरी तरह से हेरफेर से मुक्त होनी चाहिए। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हैंडलिंग के हर पहलू के लिए चेक लिस्ट तैयार की है, जिसमें मशीनों के रख–रखाव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संचालन तक शामिल हैं। इसके अलावा चयन के विभिन्न चरणों में किसी भी संरक्षित सामग्री को जोड़ने या न जोड़ने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को संभालने के लिए सुरक्षा उपायों और प्रबंधन प्रणालियों का एक विस्तृत और कठोर ढांचा तैयार किया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का संचालन करने से पहले, उनकी सही हैंडलिंग और रख–रखाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि हेर–फेर या जोड़–तोड़ से बचा जा सकें। आयोग ने सुरक्षा उपायों को प्रत्येक चरण पर लागू

किया है। ताकि उनके प्रदर्शन की सटीकता को सुनिश्चित किया जा सके। यह सभी प्रक्रियाएँ आयोग के निरीक्षण और प्रबंधन में देखी जाती हैं, ताकि मशीनों की क्षमता और विश्वसनीयता की जांच की जा सके। इन सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनों की सही हैंडलिंग की जाए और उन्हें निर्दिष्ट स्थानों पर सुरक्षित रखा जाए। इस विषय पर अधिक जानकारी नीचे दी गई है। वर्तमान विधान सभा चुनाव में निर्वाचन आयोग प्रत्येक दिशा निर्देशों को पालन किया गया व समय–समय पर आपको इन प्रक्रियाओं के बारे में सूचित भी किया गया। उम्मीदवार/प्रतिनिधि विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल रहे थे तथा चुनाव के विभिन्न सोपानों का उनके समक्ष कार्यान्वयन किया गया था, जिसका पुनः विवरण निम्न प्रकार है :–

1. **प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी)**

1.1

आयोग के पत्र संख्या 51/8/16/9/2017–ईएमएस (पीएंडएल) दिनांक 09–11–2017 के व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल (अगस्त, 2023) के अनुसार राज्य में प्रत्येक चुनाव से लगभग 180 दिन पहले, ईवीएम के दोनों यूनिट और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। एफएलसी का उद्देश्य चुनावों में उपयोग की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट की कार्यक्षमता और उपयुक्तता सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की निगरानी में पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से होती है, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रमाणित कंपनी के इंजीनियरों द्वारा जांच की जाती है। डीईओ द्वारा एफएलसी का कार्यक्रम शुरू होने से कम से कम 2 दिन पहले, जिला स्तर पर प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के साथ उचित प्रक्रिया के तहत लिखित रूप में सांझा किया जाता है। यह सूचना राजनैतिक दलों के राज्य मुख्यालयों को भी भेजी जाती है। राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को एफएलसी में

5.

उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है। अगर वे एफएलसी में भाग लेने में असफल रहते हैं, तो उन्हें पुनः स्मरण पत्र भेजा जाता है। एफएलसी में भाग लेने वाले राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर भी रखा जाता है।

1.2 प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) में प्रत्येक बैलेट यूनिट (बीयू), कंट्रोल यूनिट (सीयू) और वीवीपैट का एक व्यापक परीक्षण शामिल होता है, जिसे मशीनों की पूर्ण कार्य क्षमता की जांच करने के लिए निर्धारित किया गया है। जांच के बाद, प्रमाणित इंजीनियर यह प्रमाण पत्र जारी करते हैं कि ईवीएम के सभी घटक वास्तविक हैं।

1.3 एफएलसी बीईएल/ईसीआईएल द्वारा निर्धारित विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, 24 घंटे पूरी सुरक्षा के साथ सशस्त्र पुलिस बलों की उपस्थिति में, एक बड़े हॉल में 24×7 सीसीटीवी कवरेज के तहत की जाती है, जहां प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उचित रिकॉर्डिंग के लिए लॉग बुक रखी जाती है। पूरी एफएलसी प्रक्रिया का निरीक्षण डीईओ और सीईओ स्तर पर कंट्रोल रूम में वेबकास्टिंग के माध्यम से किया जाता है और इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रस्तुत की जाती है।

1.4 एफएलसी के प्रत्येक चरण में राजनैतिक दलों को उनकी पूरी संतुष्टि के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। उन्हें किसी भी मशीन का चयन करने और मॉक पोल करने की अनुमति भी दी जाती है।

1.5 एफएलसी के बाद, कन्ट्रोल यूनिट (सी0यू0) को गुलाबी पेपर सील से सील कर दिया जाता है और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस पेपर सील पर हस्ताक्षर करते हैं। एफएलसी के बाद FLC OK Units की एक सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दी जाती है।

1.6 एफएलसी का कार्यक्रम गुड़गांव के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 4337 दिनांक 30–07–2024 के जरिए आईएनसी सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते

हुए सांझा किया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रतिनिधियों को भेजें।

1.7 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की एफएलसी गुड़गांव जिले में 01–08–2024 से 16–08–2024 तक ई0वी0एम0 वेयर हाउस, विकास सदन गुरुग्राम में आयोजित की गई थी और इस प्रक्रिया के दौरान 01–08–2024 से 16–08–2024 तक आईएनसी के प्रतिनिधि श्री मनीष गौड सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

1.8 एफएलसी हॉल में डी0ई0ओ0 द्वारा बनाए रखे गए लॉग रजिस्टर में 01–08–2024 से 16–08–2024 तक आईएनसी प्रतिनिधि श्री मनीष गौड़ की उपस्थिति के बारे में विवरण है। यह प्रक्रिया सभी राजनैतिक प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और आईएनसी सहित किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया गया था।

इसकी जानकारी <u>Annexure-1</u> पर उपलब्ध है।

2. एफएलसी के बाद की व्यवस्था।

2.1 आयोग ने "एफएलसी ओके ईवीएम" के भंडारण और उनकी चौबीसों घंटे सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इन स्ट्रांग रूम्स में 24×7 सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस बल की कम से कम एक टुकड़ी तैनात की जाती है।

2.2 स्ट्रांग रूम्स और गलियारों के प्रवेश बिंदुओं पर 24×7 सीसीटीवी कवरेज के साथ डीवीआर की व्यवस्था होती है।

2.3 प्रवेश बिंदुओं पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा लॉग बुक रखी जाती है।

2.4 जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), पुलिस अधीक्षक (एसपी), प्रेक्षक और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम्स निरीक्षण करते हैं। यह व्यवस्था तब तक जारी रहती है जब तक की चुनाव की तैयारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन नहीं हो जाता। राजनैतिक दलों को

''एफएलसी–ओके ईवीएम'' के भंडारण और उनकी सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। गुरूग्राम जिले में FLC OK Units के लिए स्ट्रांग रूम कृषि ज्ञान केन्द्र में स्थापित किए गए थे।

3. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का रैंडमाइजेशन।

3.1 स्ट्रांग रूम में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के माध्यम से दो बार रैंडमाइज किया जाता है। यह एप्लिकेशन भारत निर्वाचन आयोग की आईटी टीम द्वारा विकसित किया गया है।

3.2 प्रथम रैंडमाइजेशन

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन से पहले, अधिकतम 10 प्रतिशत मशीनों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए अलग रखा जाता है, और उन्हें ''प्रशिक्षण और जागरूकता'' के रूम में चिह्नित किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम रैंडमाइजेशन के लिए राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को नियम प्रक्रिया के तहत कम से कम 48 घंटे पहले लिखित रूप में निमंत्रण भेजते हैं।
- डीईओ द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रैंडमाइज रूप से मशीनें आवंटित करने के लिए, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईएमएस के माध्यम से प्रथम रैंडमाइजेशन किया जाता है।
- रैंडमाइज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सूची राजनैतिक दलों को दी जाती है, और उनसे लिखित रूप में पावती ली जाती है।

(i) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन गुरुग्राम के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र संख्या निर्वाचन–2024/4971 दिनांक 30–08–2024 के जरिए आईएनसी सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए सांझा

11.

किया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रतिनिधियों को भेजें।

(ii) प्रथम याच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन) प्रक्रिया के दौरान श्री मनीष गौड (आईएनसी के प्रतिनिधि) उपस्थित थे। यह प्रक्रिया सभी राजनैतिक प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और आई0एन0सी0 सहित किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया गया था।

- प्रथम याच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन) के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें श्री मनीष गौड (आईएनसी के प्रतिनिधि) की उपस्थिति में 03—09—2024 को वज्र गृह (स्ट्रांग रूम) जो कि 75—पटौदी विधानसभा के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय सैक्टर 14 गुरूग्राम था, में स्टोर की गई थी।

इसकी जानकारी Annexure-2 पर उपलब्ध है।

3.3 द्वितीय रैंडमाइजेशन

- उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सूचीबद्ध करने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ईएमएस के माध्यम से द्वितीय रैंडमाइजेशन किया जाता है।
- यह रैंडमाइजेशन उम्मीदवारों/चुनाव अधिकर्ताओं और आयोग के प्रेक्षकों, जो अन्य राज्यों के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, की उपस्थिति में किया जाता है।
- उम्मीदवारों को द्वितीय रैंडमाइजेशन के कार्यक्रम की सूचना लिखित रूप में दी जाती है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वितीय याच्छिकीकरण (रैंडमाइजैशन) का कार्यक्रम 75—पटौदी (अ0जा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आर0ओ0 होने के नाते मेरे द्वारा आईएनसी के उम्मीदवार श्रीमती पर्ल चौधरी सहित चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए

सांझा किया गया था कि द्वितीय याच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन) की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहें।

- द्वितीय याच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन) के दौरान आपके प्रतिनिधि श्री यश चौधरी उपस्थित थे। यह प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया गया था।

इसकी जानकारी Annexure-3 पर उपलब्ध है।

4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चालू करना (कमिशनिंग):

4.1 उम्मीदवारों की नाम वापसी के बाद, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों व वीवीपैट को चालू करने और उनमें उम्मीदवारों की संख्या व विवरण डालने की प्रक्रिया तैयार करते हैं।

4.2 सभी उम्मीदवारों को एक उचित पत्र के माध्यम से प्रक्रिया की सूचना दी जाती है, जिसमें उनसे मशीनों को चालू करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

4.3 उम्मीदवारों से मॉक पॉल प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

4.4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मशीनों को चालू करने की प्रक्रिया पूरी सुरक्षा के साथ और 24×7 सीसीटीवी निगरानी में एक अलग हॉल में की जाती है।

4.5 चालू करने (कमिशनिंग) की प्रक्रिया का संचालन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (ए0आर0ओ0) और आ0ओ0 द्वारा बी0ई0एल0/ई0सी0आई0एल0 की तकनीकी टीम की सहायता से किया जाता है, जिसमें मौजूदा आर0ओ0 आयोग के प्रेक्षक और सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति होती है।

15.

4.6 वीवीपैट में लोड किए जा रहे प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल (प्रतीक) लोडिंग यूनिट (एस0एल0यू0) के लिए अलग से टी0वी0 मॉनिटर स्थापित किया जाता है ताकि उम्मीदवारो/चुनाव अभिकर्ता देख सके।

4.7 इस दौरान निरीक्षण कंपनी के इंजीनियर्स मशीन के प्रत्येक कल–पुर्जे की जांच करते हैं और रिटर्निंग अधिकारियों (आर0ओ0) को प्रमाण पत्र प्रदान करते है।

4.8 पहले, बैलट यूनिट (बीयू) तैयार कर उसे सील किया जाता है, इसके बाद वीवीपैट यूनिट तैयार की जाती है। वीवीपैट में एक नई बैटरी और नई पेपर रोल डाली जाती है। वीवीपैट यूनिट को सील करने के बाद, कंट्रोल यूनिट (सी0यू0) तैयार की जाती है और उसमें उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित की जाती है और सी0यू0 में एक नई बैटरी डाली जाती है।

4.9 सभी तीन (3) यूनिट्स को तैयार करने के बाद और पूर्व में उपयोग की गई बैटरी को वैकल्पिक नई बैटरी से बदला जाता है, सी0य0, बी0यू0, और वीवीपैट के तारों को जोड़ा जाता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, मॉक पॉल भी किया जाता है।

(i) पुनः मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों को चालू करने का कार्य (कमीशनिंग) 27–09–2024 से कॉमर्स ब्लाक राजकीय कन्या महाविद्यालय, सैक्टर–14, गुरुग्राम मे आरम्भ किया गया था। मेरे द्वारा इसका कार्यक्रम पत्र के जरिए आईएनसी सहित सभी उम्मीदवारों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि कार्यक्रम का निरीक्षण करें और मॉक पोल में भाग लें।

(ii) कमीशनिंग प्रक्रिया के दौरान, आप/आपके प्रतिनिधि श्री प्रवीन यादव उपस्थित थे। कमीशनिंग के समय आप/आपकें प्रतिनिधि द्वारा कोई

 17.

मुद्दा नहीं उठाया गया था। यह प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों की संतुष्टि के साथ मेरी उपस्थिति में पूरी हुई। इसके दौरान 5% EVM पर मॉक पॉल भी करवाया गया। कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मेरे हस्ताक्षर और आपके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अंतर्गत सील बंद की गई थी।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आपके प्रतिनिधि श्री प्रवीन यादव की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में सील की गई थी।

इसकी जानकारी **Annexure-4** पर उपलब्ध है।

5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रेषण (Dispersal):

5.1 आयोग के निर्देशानुसार जब ई0वी0एम0 मशीनों का प्रेषण होता है तो उससे पहले रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को उनके मतदान केन्द्रों की तिथि और समय की जानकारी लिखित रूम में दी जाती है।

5.2 रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में, आयोग के प्रेक्षक और उम्मीदवार / उनके एजेंट ई0वी0एम0 मशीनों के बैलट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की जांच करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही तरीके से सील बंद हैं और उनकी मुहरें (सीलें) और पैकेजिंग सुरक्षित है।

5.3 उम्मीदवार सुरक्षा कर्मियों के साथ चुनाव दलो की रवानगी देखते है।

5.4 ई0वी0एम0 के परिवहन के लिए जी0पी0एस0 और मोबाइल आधारित रडार प्रणाली द्वारा निगरानी की जाती है, जो राज्य के सीईओ और जिला अधिकारियों के स्तर पर होती है। (कृपया आयोग के निर्देश संख्या 51 / 8 / आईएनएस / 2019–ईएमपी, दिनांक 05–02–2019 में देखें)।

5.5 डीईओ सभी अभ्यार्थियों और प्रेक्षकों को संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों की जानकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के परिवहन के लिए सभी वाहनों के पंजीकरण नंबर और विवरण प्रदान करते हैं।

5.6 आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक इस मामले में आयोग के निर्देशों के सख्त अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

(i) इसके अतिरिक्त, मेरे पत्र के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और पोलिंग पार्टियों के प्रेषण के दिन स्ट्रांग रूम खोलने के कार्यक्रम के बारे में आपको लिखित रूप से सूचित किया गया था।

(ii) बैलट यूनिटों व सी0यू0 के सभी ऐड्रस टैग सील के साथ अक्षत थे और उस समय आपके प्रतिनिधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त नही गई थी। इस प्रक्रिया के दौरान सामान्य प्रेक्षक श्री समीर वर्मा, आई0ए0एस0 भी उपस्थित थे।

6. मतदान की व्यवस्थाः

6.1 आयोग ने अपने निर्देश संख्या 51/8/अनु0/2023–ईएमएस, दिनांक 16–10–2023 के माध्यम से वितरण केंद्र पर ईवीएम के प्रेक्षण प्रक्रिया के लिए सुरक्षा उपायों की एक विस्तृत योजना बनाई है।

6.2 वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले, आयोग के निर्देश संख्या 1/8/7/2019–ईएमएस, दिनांक 30–09–2019 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों के मौजूदा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल संचालित किया जाता है। मॉक पोल के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि कम से म 50 मतो का उपयोग किया जाए, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मतदान हो सके।

6.3 मॉक पोल के परिणामों की पुष्टि के बाद, वीवीपैट की पर्चीयां निकाली जाती है और मॉक पोल के आंकड़ों को सी0यू0 से हटाया जाता है, तथा कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को सही तरीके से सील बंद किया जाता है।

6.4 मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया पोलिंग एजेंटों के सामने की जाती है और उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उन्हें पेपर सील और ऐड्रस टैग पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल की तिथि और समय के साथ एक मॉक पोल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

6.5 पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल प्रमाण पत्र और पीठासीन अधिकारी की डायरी में वास्तविक मतदान शुरू होने की तिथि और समय दर्ज किए जाते हैं।

6.6 आयोग ने वास्तविक मतदान के दौरान आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए चुनाव पदाधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए है।

6.7 कंट्रोल यूनिट में ''कमजोर बैटरी'' का संकेत मिलने पर, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का पैक, जो भी सही हो आयोग के पत्र संख्या 51/8/7/2020–ईएमएस, दिनांक 25–08–2020 में समाविष्ट निर्देशों के अनुसार तुरंत बदल दिया जाता है।

6.8 पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए, बी0ई0एल0/ई0सी0आई0एल0 कंपनी के इंजीनियर उपलब्ध रहते हैं।

6.9 सैक्टर अधिकारी को आरक्षित मशीनों का आवंटन किया जाता है और जहां आवश्यकता होती है, मशीनें भेजी जाती हैं।

6.10 यदि किसी मशीन को बदला जाता है, तो मॉक पोल और सील बंद करने की पूरी प्रक्रिया नई मशीन पर भी दोहराई जाती है। पोलिंग एजेंटों को सीलों पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है।

6.11 मतदान की समाप्ति के बाद, पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट को क्लोज का बटन दबा कर मशीन को बंद किया जाता है। यह फार्म–17ग में ई0वी0एम0 में जमा किए गए कुल मतपत्रों की संख्या और पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान की सामाप्ति की तिथि और समय को दर्ज करता है। फॉर्म–17ग में दर्ज विवरण मतदान की समाप्ति के समय मौजूदा पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किए जाते हैं।

6.12 तब पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वी0वी0पैट को डिस्कनेक्ट कर देता है। पीठासीन अधिकारी वी0वी0पैट के पैक (बैटरी) को निकाल कर और पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में ई0वी0एम0 और वी0वी0पैट को सील बंद करता है।

6.13 पीठासीन अधिकारी कैरी बॉक्स के ऐड्रस टैग पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, और उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर भी होते हैं।

6.14 मतयुक्त ई0वी0एम0 को सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में संग्रहण केंन्द्र (कलेक्शन सेंटर) तक ले जाया जाता है।

- मतदान के दिन वास्तविक मतदान से पहले, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर आपके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक पोल आयोजित किया गया था। मॉक पोल पूरा होने के प्रमाण पत्र पर आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे और मॉक पोल प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली के बारे में आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा कोई मुद्दा नही उठाया गया था।
- वास्तविक मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की गई तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा किसी भी मतदान केन्द्र पर आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

- वास्तविक मतदान पूरा होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को आपके पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा सील बंद करे दिया गया था और उस समय मतदान प्रक्रिया और ई0वी0एम0 की कार्यप्रणाली पर आपके प्रतिनिधियों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी।

7. मतयुक्त ई0वी0एम0 का भंडारण:

7.1 मतयुक्त ई0वी0एम0 और आरक्षित ई0वी0एम0 के भंडारण के लिए, रिटर्निंग अधिकारी पहले से ही एक पृथक सुरक्षित स्थान (स्ट्रांग रूम) स्थापित करता है। मतयुक्त ई0वी0एम0 के लिए स्ट्रांग रूम में, संबंधित क्षेत्रों/रैक में प्रणाली के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को व्यवस्थित किया जाता है।

7.2 मतयुक्त ई0वी0एम0 मशीनें उचित सुरक्षा उपायों के तहत अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों को पूर्व में सूचित करके आयोग के पत्र संख्या 464/स्ट्रांग रूम/2023–ईपीएस, दिनांक 18–07–2023 में समाविष्ट निर्देशों के अनुसार संरक्षित की जाती हैं।

7.3 आयोग ने मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संरक्षण के लिए सख्त सुरक्षा और संरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

- आयोग ने मतयुक्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के संरक्षण के लिए सख्त सुरक्षा और संरक्षा उपाय निर्धारित किए है।
- स्ट्रांग रूम, जहां मतयुक्त ई0वी0एम0 रखी जाती हैं, में डबल लॉक सिस्टम होता है। लॉक–1 की चाबी रिटर्निंग अधिकारी के पास और लॉक–2 की चाबी सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास होता है।
- स्ट्रांग रूम के लिए दोहरी सुरक्षा की व्यवस्था होती है, जिसमें सबसे ऊपर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा होती है और बाहर राज्य पुलिस बल

की सुरक्षा होती है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा संरक्षण के लिए सीसीटीवी कैमरे और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

- प्रत्येक प्रवेश, सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा उचित लॉग बुक बनाई जाती है। आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय, गतिविधियों और आने जाने वाले व्यक्ति का नाम को लॉग बुक में दर्ज किया जाता है और प्रत्येक मामले में हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसमें प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी जिला चुनाव अधिकारी (डी0ई0ओ0) पुलिस अधीक्षक (एस0पी0) और उम्मीदवार/उनके एजेंटों की उपस्थिति होती है।
- किसी भी बाहरी व्यक्ति, जिसमें कोई मंत्री या अन्य राजनैतिक व्यक्ति शामिल हैं, को उस सुरक्षा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वी0वी0पैट सुरक्षित रखी जाती हैं।
- उम्मीदवारों/उनके एजेंटों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोलने और बंद करने के दौरान सुरक्षा के लिए विडियोग्राफी की जाती है।
- उम्मीदवार आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को देखते रहने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते है।
- मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग पार्टियों द्वारा निर्धारित स्थान पर जमा कर दी गई थीं और उसके बारे में आपको काफी समय रहते बता दिया गया था। स्ट्रांग रूम के लॉग रजिस्टर के अनुसार, मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आपके प्रतिनिधि श्री प्रमेश रंजन और सामान्य प्रेक्षक श्री समीर वर्मा, आई0ए0एस0 की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में 05–10–2024 व 06–10–2024 की रात्रि 12:50 पर स्टोर की गई थीं। उस समय भी आपके प्रतिनिधि की ओर से कोई शिकायत या मुद्दा नही उठाया गया था।
- दिनांक 05–10–2024 व 06–10–2024 की रात्रि 12:50 को स्ट्रांग रूम के बंद होने के बाद से दिनांक 08–10–2024 को मतगणना की तिथि तक मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई थी, जो केन्द्रीय

सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की सुरक्षा में था। अधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और लॉग रजिस्टर की प्रविष्टियों में आपके प्रतिनिधियों के दौरे को दर्शाया गया है। जिन्होंने स्ट्रांग रूम में आवाजाही पर नियमित रूप से नज़र बनाए रखी, न तो आपने और न ही आपके प्रतिनिधि ने मेरे या किसी ए0आर0ओ0 के पास कोई शिकायत उठाई।

इसकी जानकारी **<u>Annexure-5</u>** पर उपलब्ध है।

8. **फॉर्म–17 ए और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा।**

8.1 फॉर्म–17 ए और दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए नियत दिन पर जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/प्रेक्षक और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों उनके निर्वाचन/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन प्रपत्र वज्र गृह विडियोग्रॉफी के अधीन खोला जाता है।

8.2 फॉर्म–17ए और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा पूरी होने के बाद उन्हें उनके संबंधित पैकेटों में फिर से पैक किया जाता है और लॉग बुक में प्रविष्टि करने तथा उस समय उपस्थित सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों, प्रेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर लेने के बाद वज्र गृह को बंद और सील बंद कर दिया जाता है।

8.3 फॉर्म–17ए और अन्य दस्तावेजों वाले वज्र गृह (स्ट्रांग रूम) को खोलने और बंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत रूप से वीडियोग्राफी की जाती है।

8.4 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में संवीक्षा की प्रक्रिया 06–10–2024 को प्रातः 11:00 बजे कंट्रोल रूम राजकीय कन्या महाविद्यालय सैक्टर–14 गुरूग्राम में श्री समीर वर्मा, आई0ए0एस0 प्रेक्षक की अध्यक्षता में की गई थी।

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

---

9. मतों की गणना :

9.1 मतगणना के दिन, मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम को उम्मीदवारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, और आर0ओ0/ए0आर0ओ0 की उपस्थिति में विडियों रिकॉर्डिंग के अन्तर्गत खोला जाता है।

9.2 मतों की गणना के लिए नियत दिन मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्ट्रांग रूम को 08–10–2024 को खोला गया था। स्ट्रांग रूम खोलने के दौरान आप स्वयं और मतगणना प्रेक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एस0सी0एस0 भी मौजूद थे। लॉग रजिस्टर पर हस्ताक्षर लिए गए थे। पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी की गई। उस समय भी, आपने मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और संरक्षा पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की और न ही कोई मुद्दा उठाया।

9.3 इसके अलावा, आपके द्वारा नामित काउंटिंग एजेंट मतगणना की पूरी प्रक्रिया के पूरी होने तक मतगणना हॉल में मौजूद रहे थे। ''मतगणना उपरांत वी0वी0 पैट की स्लिप वैरिफिकेशन भी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों और मतगणना प्रेक्षक श्रीमती ज्योति सिंह एस0सी0एस0 की उपस्थिति में की गई। उस दौरान भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

इस सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिस की जानकारी Annexure-6 पर उपलब्ध है।

9.4 मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक सुरक्षित मार्ग से ले जाने की तैयारी की जाती है। ध्यान रखा जाता है कि दो स्ट्रांग रूम की मतयुक्त ई0वी0एम0 मशीनों का मार्ग एक–दूसरे से अलग हो। इन मशीनों की मूवमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है।

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

9.5 मतगणना हॉल में केवल कंट्रोल यूनिट (सीयू) ही लाई जाती है।

9.6 कंट्रोल यूनिट (सीयू) को चालू करने से पहले, उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में सील की गहन जांच की जाती है।

9.7 कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों का मिलान फॉर्म–17सी में उल्लिखित मतों की कुल संख्या से किया जाता है, जिसे पहले ही मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किया गया था।

9.8 कंट्रोल यूनिट पर मतदान की शुरूआत और समाप्ति का समय सत्यापित किया जाता है और पोलिंग एजेंटों को दिखाया जाता है। मतगणना एजेंट फॉर्म–17सी पर हस्ताक्षर करके पुष्टि करते हैं कि कंट्रोल यूनिट वही है जिसका उपयोग उसी मतदान केंद्र में किया गया था।

9.9 आयोग ने पोलिंग स्थल द्वारा प्रक्रिया में कोई गलती होने या मतदान के समय और विवरण में असंगति के मामलों में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

9.10 प्रत्येक राउंड की मतगणना पूरी होने पर, प्रेक्षक उनके माईक्रो ऑब्जर्वर द्वारा मतगणना के मिलान के बाद रिटर्निंग अधिकारी उस राउंड के परिणाम की घोषणा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में मतों की गणना के अंतिम राउंड के बाद, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 रैंडमाइज रूप से चयनित मतदान केन्द्रों के वी0वी0पैट पर्चियों का सत्यापन करते है।

9.11 इन 5 ई0वी0एम0 मशीनों का चयन आयोग द्वारा अपने निर्देश संख्या 51/8/वीवीपैट–अनु./2019–ईएमपीएस, दिनांक 15–04–2019 के अनुसार आर0ओ0 द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। उम्मीदवारों को लॉटरी प्रक्रिया के बारे में पहले से लिखित सूचना दी जाती है।

35

9.12 यदि ई0वी0एम0 में दर्ज मतों और वी0वी0पैट पेपर पर्चियों की गणना में कोई असंगति होती है, तो निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 56(घ) (4) (ख) के अनुसार वी0वी0पैट पेपर पर्चियों को मान्य माना जाएगा।

9.13 ई0वी0एम0 मतगणना और निर्देशित वी0वी0पैट पेपर पर्चियों की गणना की पूरी प्रक्रिया की विडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए पांच बूथों की वी0वी0पैट पेपर पर्चियों की गणना (बूथ न0 51, 53, 106, 141 व 112) की गई व सी0यू0 के मतों की गणना व वी0वी0पैट के पेपर पर्चियों की गणना एक समान पाई गई।

9.14 मतगणना की शुरुआत से लेकर परिणामों की घोषणा तक आयोग के प्रेक्षक लगातार उपस्थित रहते हैं।

इस सम्बन्ध मं जारी किये गये नोटिस की जानकारी Annexure-7 पर उपलब्ध है।

10. बैटरी पैक के ऊपर 99 प्रतिशत चार्ज दर्शित डिस्पले होना :–

जहां तक कंट्रोल यूनिट डिस्पले में बैटरी की स्थिति का 99 प्रतिशत प्रदर्शित होने का प्रश्न है, इस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कंट्रोल यूनिट में बैटरी कमीशनिंग के दौरान उम्मीदवारों की उपस्थिति में डालकर सील बंद की जाती है तथा उनके/उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। हस्ताक्षर उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी चरण पर चैक किए जा सकते हैं, इसलिए इससे छेड़छाड़ करना अंसभव है। ई0वी0एम0 के कंट्रोल यूनिट में एल्कालाइन बैटरी का उपयोग होता है। यह बैटरी कंट्रोल यूनिट के साथ 04 बैलेट यूनिट लगाने पर भी 2000 वोटों तक के लिए सक्षम होती है तथा यह उच्च गुणवत्ता की बैटरी होती है। नए पावर पैक की प्रारम्भिक वोल्टेज लगभग 7.4 से 8.0 वोल्ट तक होती है तथा इसकी पावर खपत बहुत कम होती है। वोल्टेज 7.4 से कम होता है, बैटरी

की वास्तविक उपलब्धता क्षमता यानि 98 प्रतिशत से नीचे प्रदर्शित होने लगती है। बैटरी में 5.8 से अधिक वोल्ट रहने पर कंट्रोल यूनिट कार्यरत रहती है। डिस्पले में प्रदर्शित प्रतिशत, कंट्रोल यूनिट पर किए गए मॉक पोल, वास्तविक पोल तथा बैटरी की प्रारम्भिक वोल्टेज पर निर्भर होती है जो विभिन्न मतदान केन्द्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में भिन्न–भिन्न हो सकती है।

उपर्युक्त अवसरों के अतिरिक्त भी समय–समय पर मैंने इंडियन नैशनल कांग्रेस सहित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं। तथा उनके साथ उपयुक्त सूचनाएं साझा की है। तिथिवार इन सभी बैठको के कार्यवृत्त और उनमें आपके दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति का ब्योरा संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, सिविल संख्या 434/2023 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26–04–2024 के आदेश के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र संख्या 51/8/अनुदेश/2024–ईएमएस, दिनांक 01–06–2024 के माध्यम से अपने निर्देशों के साथ एक प्रशासनिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की है। इसमें उन यूनिटस को बारह निकालने की प्रक्रिया प्रोटोकॉल, और ई0वी0एम0 यूनिटस (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और वी0वी0पैट) की बंद मेमोरी/माइक्रो कंट्रोलर की मतगणना के बाद जांच और सत्यापन, रिकार्डिंग प्रक्रिया, ऑडिट के लिए संरक्षात्मक उपाय, और प्रोटोकॉल शामिल हैं। इन निर्देशों के पैराग्राफ 3 (सी) में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार, संबंधित उम्मीदवार परिणाम की घोषणा की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर सीईओ को लिखित अनुरोध कर सकते है। मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 75–पटौदी(अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार से मुझे ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि चुनाव प्रक्रिया और विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों/उनके एजेंट सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। आयोग के सभी दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया और समय–समय पर आपको इन प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी गई। आप या आपके प्रतिनिधि विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग ले रहे थे और चुनाव के विभिन्न चरणों की कार्यवाही उनके समक्ष की गई थी। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई0वी0एम0) के कड़े प्रोटोकॉल के तहत और हर समय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तथा पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। अन्य राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों के साथ आपके अधिकृत एजेंट भी ई0वी0एम0 के संचालन के प्रत्येक चरण में शामिल थे– बैटरी सैक्शन की सीलिंग से लेकर उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने तक, मतदान के दिन उन्हें बाहर लाने से लेकर पूरे मतदान के दौरान, मतदान समाप्त होने के बाद सीलिंग और फिर से मतदान केंद्रों से स्ट्रांग रूम तक लाने और मतगणना के दिन तक जब ई0वी0एम0 पूरी सुरक्षा और सीलिंग के साथ बाहर लाई गई।

यह पुनः सूचित किया जाता है कि प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी), प्रथम चरण और द्वितीय चरण के याच्छिककरण (रैंडमाइजेशन), चुनाव से पांच –सात दिन पहले ई0वी0एम0 की कमीशनिंग, बैटरी लगाने के बाद उसके एड्रैस टैगिंग में उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर लेना तत्पशाचत स्ट्रांग रूम में उनका भंडारण, वितरण केंद्र से पोलिंग पार्टियों को कमीशन की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सौंपना, पोलिंग पार्टियों का मतदान केन्द्रों तक पहुँचना, मतदान से पहले मॉक पोल का संचालन, पूरे दिन मतदान प्रक्रिया का संचालन, मतदान के बाद क्लॉज बटन दबाना, मतदान के दौरान हुई वोटिंग की जानकारी पोलिंग एजेंट को देना, मतदान के बाद ई0वी0एम0 को सील बंद करना और उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर लेना, अंततः ई0वी0एम0 को स्ट्रांग रूम तक ले जाकर वहां सुरक्षित जमा करना और स्ट्रांग रूम को सील बंद करना मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम को खोलना, ई0वी0एम0 को काउंटिंग हॉल में ले जाना, मतगणना से पहले ई0वी0एम0

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

की सील की जांच करना पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर सत्यापित करना, मतगणना के दौरान प्रत्येक चरण में फॉर्म–17ग के अनुसार ई0वी0एम0 में पड़े वोटों का मिलान करना और परिणामों की घोषणा– इन सभी प्रक्रियाओं में आप या आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि लगातार उपस्थित रहे हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ईवीएम की कमीशनिंग प्रकिया के दौरान ईवीएम के सीयू में बैटरी लगाने तथा उसे सील करने की तिथि से लेकर मतगणना समाप्त होने तक आप या आपका प्रतिनिधि पूरी प्रक्रिया में मौजूद थे तथा ईवीएम में हेराफेरी/बदलाव/परिवर्तन/छेडछाड की कोई गुंजाइश नहीं हैं। अतः आपकी आंशकाए पूर्णतः निराधार है।

इसके अतिरिक्त, इन सभी प्रक्रियाओं की केंद्रीय प्रेक्षक और सेक्टर ऑफिसरों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की गई है, और ये सभी प्रक्रियाएँ वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, लॉग बुक और रजिस्टर में प्रविष्टियों के तहत रिकार्ड की गई हैं। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, हेर–फेर या जोड़–तोड़ का कोई प्रश्न नहीं उठता।

आपके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार, तथ्यहीन और बाद में उत्पन्न विचार से प्रेरित प्रतीत होते हैं, इसके बावजूद, यदि आप मेरे द्वारा दिए गए इस प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका द्वारा चुनाव को चुनौती देने का विकल्प आपके पास उपलब्ध है।

रिटर्निंग अधिकारी
75 पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र
एवं उपमण्डल अधिकारी(ना0), पटौदी।

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi. 43.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

पृ0क्र0: निर्वाचन/2024/1060-61 दिनांकः 23/10/2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. उपायुक्त एवं जिला निवार्चन अधिकारी, गुरुग्राम।

रिटर्निंग अधिकारी
75 पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र
एवं उपमण्डल अधिकारी(ना0), पटौदी।

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

Annexure - 1

DISTRICT ELECTION OFFICE, GURUGRAM

जिला निर्वाचन कार्यालय, गुरुग्राम।

पत्र कमांक निर्वाचन–2024/4337 दिनांक: 30.07.2024

सेवा में

जिला गुरूग्राम के राष्ट्रीय व मान्यता प्राप्त
राजनैतिक दलो के सचिव/प्रधान।

विषयः– हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 ई0वी0एम0, वी0वी0पैटस की प्रथम स्तरीय जांच हेतु ई0वी0एम0, वी0वी0पैटस के स्थानांतरण की प्रकिया में भाग लेने बारें।

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि आगामी हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2024 हेतु इस जिला की ई0वी0एम0 मशीनों की फस्ट लेवल चैकिग दिनांक 01–08–2024 से ई0वी0एम0 वेयर हाउस, प्रथम तल, विकास सदन, गुरूग्राम में आरम्भ हो रही है, जोकि लगभग 20 दिन चलेगी। उक्त कार्य दिनांक 01.08.2024 को प्रातः 09:00 बजे से आरम्भ होकर कार्य के पूर्ण होने तक प्रतिदिन 09:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक चलेगा, जिसके लिए ई0वी0एम0 व वी0वी0पैटस मशीनों को राजकीय कन्या महाविद्यालय, सैक्टर–14, गुरूग्राम से वेयर हाउस, प्रथम तल, विकास सदन, गुरूग्राम में लाई जानी है।

अतः आपको उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त कार्य के लिए कार्य के आरम्भ से समाप्ति तक, पहचान पत्र के साथ स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर एफ.एल.सी. से जुड़ी गतिविधि में भाग लेना सुनिश्चित करें।

कृतेः उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
गुरूग्राम।

47.

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

ANNEXURE

(Attendance Register for National and State Recognised Political Parties-FLC Hall)

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Gurugram

Address of FLC hall: Vikash Sadan Gurugram Date: 01/08/24

S. No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any.
1.	CPI(M)				
	AAM ADAMI PARTY	Shyamlal	8256681 67355	[signature]	
2.	Congress. Party.	Harish Goma	8802045 4422	[signature]	
3.	JJP Jannayak Janta Party	Rishi Raj Rana	9811704966	[signature]	
4	B.J.P.	Yad Ram Joya	9350514784	[signature]	

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

[signature] 01/8/24

(Name, Designation and Signature of officer nominated by District Election Officer)

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

49.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

ANNEXURE-3

(Attendance register for National and State Recognised Political Party-FLC Hall)

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Gurgaon

Address of FLC Hall: Vikas Sadan

Dated 16-8-24

Sr no	Name of National State Party	Name of Representative of Political Party with affiliation	Identity documents No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1	I.N.C	Manish GAUR.		(signature)	
2					
3					
4					
5					
6					

Note: If the Representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the registered.

(Name, Designation and signature of officer nominated by District Election officer)

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

51.

Annexure – 2

DISTRICT ELECTION OFFICE, GURUGRAM
जिला निर्वाचन कार्यालय,गुरुग्राम।
श्रम भवन की पांचवी मंजिल फोन न0 0124–2224047, ई–मेल- eli_grg@yahoo.in

चुनाव का पर्व DESH KA GARV

क्रमांक निर्वाचन–2024 / 4949 दिनांक– 29.08.2024

सेवा मे

जिला गुरुग्राम के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के प्रधान / सचिव

विषय:– 1st Randomization of EVM/VVPAT-reg.

उपरोक्त विषय पर आपको सुचित किया जाता है हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के सम्बन्ध मे इस जिला से सम्बन्धित 75–पटौदी(अ0जा0), 76–बादशाहपुर, 77–गुडगाँव एवं 78–सोहना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मे प्रयोग होने वाली कन्ट्रोल युनिट, बैलेट युनिट तथा वी0वी0पेट(ई0वी0एम0 मशीनो) 1st Randomization दिनांक 02.09.2024 बाद दोपहर 03.00 बजे ई0एम0एस0 ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से मिटिंग हॉल उपायुक्त कार्यालय लघु सचिवालय प्रथम तल गुरुग्राम मे किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वंय या अपने प्रतिनिधित को दिनांक 02.09.2024 को बाद दोपहर 03.00 बजे उपायुक्त कार्यालय मिटिंग हाल, प्रथम तल, लघु सचिववालय गुरुग्राम मे उपस्थित होना सुनिश्चित करे ताकि आपके सम्मुख ई0वी0एम0 व वी0वी0पैटस का प्रथम 1st Randomization किया जा सके।

कृते उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
गुरूग्राम

पृ0 क्र0 निर्वाचन–2024 / 4950–52 दिनांक 29.08.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजकर अनुरोध है कि ई0वी0एम0 व वी0वी0पैटस के प्रथम 1st Randomization के समय आप स्वंय उक्त तिथि को नियत समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें–

1. जिला गुरुग्राम के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटरनिंग अधिकारी।
2. श्री जगनिवास, एच.सी.एस., नौडल ऑफिसर ई0वी0एम0 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिलो परिषद गुरुग्राम।
3. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. गुरुग्राम।

कृते उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
गुरूग्राम

Copy to

1. PA to DC Gurugram
2. Steno to CTM Gurugram.
3. All Election Kanungo.
4. Junior Programmer, Election Office.

JJP

BJP

AAP

INC

Vinod K

CPI(M) Gen Secy, 02/09/2024

BSP

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

1st Randamization of EVMs/VVPATs for General Election Haryana Vidhan Sabha

Meeting of Political Parties

Dated On 02-09-2024 Time: 3:00 PM

Sr. No.	Name /Designation	Party Name	Mobile No	Email Id	Signature
1	Manish Gaur	I.N.C	88[illegible]204422		[signature]
2	Net Ram	BSP	8130390888		[signature]
3	VINOD KUMAR BHARDWAJ CPM Distt. Secty.	CPIM	9891140280	vkbhardwajadv@gmail.com	[signature]
4	Shyam Lal (B. President)	AAP.	9810678922		[signature]
5	[illegible]	JJP	9810219015		[signature]
6	[illegible]	BJP.	9350514784		[signature]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

Annexure 3

DISTRICT ELECTION OFFICE, GURUGRAM
जिला निर्वाचन कार्यालय,गुरुग्राम।

धर्म भवन की पांचवी मंजिल फोन न0 0124- 2224047 [illegible]

पत्र क्रमांक निर्वाचन 2024/6559 दिनांक 13/09/2024

सेवा में

जिला में सभी निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी।

विषय:- Haryana Vidhan Sabha General Election 2024 - 2nd Randomization of EVM VVPAT-reg

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2024 के अन्तर्गत [illegible] वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नामत 75 पटौदी(अ.जा), 76 बादशाहपुर, 77 गुडगांव तथा 78 सोहना [illegible] ई0वी0एम0 व वी0वी0पैटस की 2nd Randomization दिनांक 24.09.2024 को बाद दोपहर 1:00 बजे [illegible] पोर्टल के माध्यम से आब्जर्वर महोदय उपस्थिति में किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने से सम्बन्धित सभी उम्मीदवारों को [illegible] सम्बन्धित प्रतिनिधि को दिनांक 24.09.2024 को दोपहर 1:00 बजे उपरोक्त कार्यालय [illegible] सचिवालय गुरूग्राम में उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में देने का कष्ट करें। आप भी उक्त ई0वी0एम0 व [illegible] के 2nd Randomization के समय उपस्थित रहे।

कृते उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
गुरूग्राम।

पृ0 क्र0 निर्वाचन 2024/6360-62 दिनांक 13/09/2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजकर अनुरोध है कि वे कृपया उक्त 2nd Randomization के समय उपस्थित होने का कष्ट करें।

1. सामान्य ऑबजर्वर के लाईजन अधिकारी को भेजकर अनुरोध है कि आबजर्वर महोदय को उपस्थित [illegible] सूचित करने का कष्ट करें।
2. जिला में सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के राजनैतिक दलों के प्रधानों एवं सचिवों को भेजकर अनुरोध है कि [illegible] कृपया उक्त वर्णित एम0 व वी0वी0पैटस के 2nd Randomization के समय उपस्थित रहें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (डी0आई0सी0), गुरूग्राम।

कृते उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
गुरूग्राम।

Copy to
1. Sh. Jagniwas, HCS, CEO Zila Parishad, Gurugram.
2. PA to DC Gurugram
3. Steno to CTM Gurugram.

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

2nd Randomization Political Party
Attendence Sheet Dated on (24-09-2024) 01:00 PM

Sr no	Name	Designation	Party Name	Mobile no	Signature	
1.	Nayar Mohammad	Election Agent	Lok Lender Suraksha Party	9671946686	[illegible]	78 SOHNA
2.	Gautam Singh	Election Agent	Indian National Congress	9911787416	Gautam Singh	78
3.	JAGAT KHATANA	Election AGN	BJP	9990770795	[illegible]	78- SOHNA
4.	Manish SOLANKI	Election Agent	BJP.	9891720469	[illegible]	78- SOHNA
5.	[illegible]	Election Agent	AAP	9810678922	[illegible]	77 Gurugram
6.	Adv. Jai Singh Tanwar	Zila Prabhari	BSP	9891283289	[illegible]	77 Gurugram
7.	Begraj	Election Agent	A.S.P	9811884370	Begraj	78- SOHNA
8.	[illegible]	Election Agent	Independent	9315355566	[illegible]	78- SOHNA
9.	[illegible]	Candi.	INDIP.	8920946115	[illegible]	77- GURGRAM
10.						
11.						
12.						

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

2nd Randomization Officer's
Attendence Sheet Dated on (24-09-2024) 01:00 PM

Sr no	Name	Designation	Mobile no	Email Id	Signature
1.	JAGNIWAS HCS	CEO ZP	9416291877		[signature]
2.	Shiksha	ARO	9878487650		[signature]
3.	Ankit K. Chouksey	RO(76)	9587756666		[signature]
4.	Dinesh	RO (Pataudi)	8901289622		[signature]
5.	Hosyar Singh	RO-78-Sohna	8307457671		[signature]
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

Annexure – 4

Returning Officer 75-Pataudi (SC) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi
रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी।

विधानसभा के आम चुनाव वर्ष 2024 अति महत्त्वपूर्ण तिथि पत्र

सेवा में

श्रीमती पर्ल चौधरी, उम्मीदवार नेशनल कांग्रेस पार्टी,
म. नं. 96, गांव- हल्दारपुर, तह० पटौदी,
जिला गुरुग्राम।

यादी क्रमांक निर्वाचन–2024/775 दिनांक- 18/09/2024

विषय:– विधानसभा आम चुनाव 2024–चुनाव मे प्रयोग होने वाली ई0वी0एम0 की कमिशनिंग की सूचना [illegible] बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के [illegible] विधानसभा आम चुनाव 2024 के सम्बन्ध में मतदान केन्द्रो पर प्रयोग होने वाली कन्ट्रोल युनिट बैलट यूनिट [illegible] वी0वी0पैटस की कमिशनिंग का कार्य दिनांक 27.09.2024 से आरम्भ किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कमिशनिंग के समय दिनांक 27.09.2024 को प्रात: 10.00 बजे [illegible] ब्लाक, राजकीय कन्या महाविधालय, सैक्टर–14, गुरुग्राम आप स्वयं उपस्थित होने का कष्ट करे अथवा [illegible] निर्वाचन अभिकर्ता (Election Agent) को अथवा अपने किसी प्राधिकृत व्यक्ति को अधिकृत पत्र देकर [illegible] तिथि, समय व स्थान पर भेजने का कष्ट करे।

मशीनो की कमिशनिंग के पश्चात स्ट्रांग रुम को सील किया जायेगा उस समय भी आप स्वयं [illegible] रहे अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता (Election Agent) को अथवा अपने प्राधिकृत व्यक्ति को हाजिर रहने [illegible] निर्देश देने का कष्ट करे।

रिटर्निंग अधिकारी,
75– पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र [illegible]
उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी।

पृ0 क्रं0 निर्वाचन–2024/775 दिनांक 18/09/2024

इसकी एक प्रति उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।

रिटर्निंग अधिकारी
75– पटौदी (अ0जा0) [illegible]
उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी।

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

Commissioning Attendence on 27-09-2024

Sr. No.	Candidate /Party name	Mobile No.	Signature
1	Smt. Bimla Chaudhary, BJP		
2	Smt. Pearl Chaudhary, Congress	8053731[illegible] [illegible]	[signature]
3	Sh. Amar Nath, JJP		
4	Sh. Pardeep Kumar, AAP		
5	Sh. Pawan Kumar, INLD		
6	Sh. Satyavir, Independent		
7	Sh. Gurdass, Independent	9991514843	Gurdass

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

Annexure – 5

Returning Officer 75-Pataudi (SC) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी

सेवा में

75–पटौदी विधान सभा चुनाव क्षेत्र में
चुनाव लडने वाले सभी उम्मीदवार

यादी क्रमांक निर्वाचन–2024 / 406 दिनांक– 03/10/2024

विषयः– विधानसभा आम चुनाव 2024 पोलिंग उपरान्त स्ट्रोंग रूम सील करने बारे नोटिस ।

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र में दिनांक 05.10.2024 को मतदान केन्द्रो पर पोलिंग होने के उपरान्त सभी ई0वी0एम0 मशीने 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र के स्ट्रोंग रूम कार्मस ब्लाक राजकीय कन्या महाविद्यालय में जमा होंगी और स्ट्रोंग रूम को रात को लगभग रात्रि 12:00 बजे सील किया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयः उपस्थित होकर अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता / प्राधिकृत प्रतिनिधि को स्ट्रोंग रूम सीलिंग में भाग लेने के लिये भेजने का कष्ट करें।

रिटर्निंग अधिकारी,
75– पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र एव
उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी।

पृ0 क्र0 निर्वाचन–2024 / 407 दिनाक 03/10/2024
इसकी एक प्रति उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरुग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।

रिटर्निंग अधिकारी,
75– पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र एव
उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी।

67.

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

5-10-2024

प्रमाणीत किया जाता है कि 75–पटौदी(अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र के स्ट्रोंग रूम को आज दिनांक 05.10.2024 को मेरी उपस्थिती में सील किया गया है। की गई कार्यवाही से मैं पुर्णतः सहमत हूँ।

क्रम संख्या	उम्मीदवार व पार्टी का नाम	उम्मीदवार के हस्ताक्षर
1	श्री अमरनाथ जे.ई. जननायक जनता पार्टी।	
2	श्रीमति पर्ल चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस।	Parmesh
3	श्री पवन कुमार भौडा इंडियन नेशनल लोकदल।	
4	श्री प्रदीप जटौली, आम आदमी पार्टी।	
5	श्रीमति बिमला चौधरी भारतीय जनता पार्टी।	Amit
6	श्री गुरुदास, आजाद उम्मीदवार।	
7	श्री सत्यवीर जनौला, आजाद उम्मीदवार।	

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

CERTIFICATE

On 05/10/2024 at 12:50 AM/PM, the strong rooms for EVM/VVPAT and statutory cover in Commerce Block of Assembly Constituency of 75 - Pataudi were sealed. It is certified that there is no live wire inside both of these strong rooms in Commerce Block All electricity and electronics related connections have been removed from both of these strong rooms/ Room No- 51 & 59.

Sub Divisional Engineer,
Electrical Sub Divn. (PWD) B&R
Gurugram

71.

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

Annexure – 6

Returning Officer 75-Pataudi (SC) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी

सेवा मे

75–पटौदी विधान सभा चुनाव क्षेत्र में
चुनाव लडने वाले सभी उम्मीदवार

यादी क्रमांक निर्वाचन–2024/410 दिनांक– 03/10/2024

विषयः– विधानसभा आम चुनाव 2024 में Scurtiny बारे नोटिस ।

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र मे मतदान होने के उपरान्त दिनांक 06.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे कार्मस ब्लाक राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 14 गुरूग्राम में होनी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयः उपस्थित होकर अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजकर उक्त प्रकिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।

रिटर्निंग अधिकारी,
75– पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र एव
उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी।

पृ0 क्रं0 निर्वाचन–2024/411 दिनाक 03/10/2024

इसकी एक प्रति उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गुरूग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।

रिटर्निंग अधिकारी,
75– पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र एव
उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी।

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

73.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

Annexure – 7

Returning Officer 75-Pataudi (SC) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटोदी(अजा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटोदी।

सेवा में,

75–पटौदी(अजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार।

कमांक _ 368 दिनांक 28/9/024

विषयः– मतगणना केन्द्र खोलने बारे सूचना।

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा चुनाव क्षेत्र दिनांक 08.10.2024 को प्रातः 8:00 बजे से आरंभ होनी है। जिसके लिए मतगणना केन्द्र को प्रातः 7:00 बजे खोला जायेगा। अतः आप स्वयं या अपने चुनाव एजेंट को उक्त प्रक्रिया में शामिल होने बारे सूचित करें।

रिटर्निंग अधिकारी,
75–पटौदी(अजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी(ना0), पटौदी।

Returning Officer 75-Pataudi (S.C.) Assembly Constituency Cum Sub Divisional Officer (c) Pataudi.

रिटर्निंग अधिकारी 75–पटौदी (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी.

District.......................... Constituency

Date	Time of Entry	Name & Designation of the officer entering	Purpose of Entry	Details of other Persons accompaning the officer	Signature of Officer entering	Signature of the O.I.C Police Guard	Time of Exit	Details of Persons coming out with the officer	Total time spent inside room	Signature of Officer Coming out	Signature of O.I.C Police Guard	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6/10/24	10:52 am	Dinesh	Checking		RO	[signature]						
6/10/24	10:55 am	Parmesh Congress	checking		Election Agent	[signature]						
8/10/24		Pehal Candidate		9650846688		[signature]						
8/10/24		Amit [illegible]	Check	9870258555	[signature]	[signature]						
8/10/24		Amar [illegible]	checking	9930963523		[signature]						
8.10.24		[illegible] Singh Coun. Obs.	Observer	9004458071		[signature]						
9/10/24	9.35 am	Dinesh	R.O.	[signature]								
8/10/24		Arif J.E	EVM counting	7458020436		[signature]						
8/10/24		Hitesh, J.E	EVM count	9540950074	[signature]	[signature]						
8/10/24		JAIBIR JE	EVM counting	9711461992	[signature]	[signature]						
08/10/24		Sandeep [illegible] JE	EVM counting	9971[illegible]	[signature]	[signature]						
08/10/24		Kapil Singh	EVM Counting	9953074538	[signature]	[signature]						
08/10/24		Anreep	EVM count	9467109948	[signature]	[signature]						
08/10/24		Sheel Mathur	EVM counting	9468284342	[signature]	[signature]						
08/10/24		Deepak	EVM call	9813502414	[signature]	[signature]						
08/10/24		Manish	"	9999290707	[signature]	[signature]						